(8)

संख्याः 461 /VIII/11–25(श्रम)/2011

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

श्रम अनुभाग

देहरादून : दिनाँकः 18 अप्रैल, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की वचनबद्ध/आवश्यक मदों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दि0 31 मार्च, 2011 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ब्यौरेवार अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष श्रम विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या– 16 में वचनबद्व/आवश्यक मदों की संलग्न–विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 13,68,000 **(रू0 तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 7,74,60,000 (रू0 सात करोड़ चौहत्तर लाख साठ हजार मात्र)** अर्थात् **कुल रू0 7,88,28,000 (रू0 सात करोड़ अट्ठासी लाख आठइस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या 16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

4– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2011–12 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

5– प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2012 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन में उपलब्ध कराया जाएगा।

6– अवचनबद्व मानक मदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये, ताकि वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जा सके।

7– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(किशन नाथ)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 46/ (1)/VIII/11–25(श्रम)/2011, तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– विभागाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4– एनआईसी, सचिवालय ।
5– नियोजन विभाग।
6– वित्त अनुभाग–5।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः (1)/VIII/11–25(श्रम)/2011, दिनांकः अप्रैल, 2011 का संलग्नक :–

अनुदान संख्याः 16

धनराशि रूपये हजार में

(I) लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार
01–श्रम
001–निदेशन तथा प्रशासन
03–श्रम विभाग का अधिष्ठान

क्र0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	200	8500
2	02–मजदूरी	–	30
3	03–महंगाई भत्ता	120	5100
4	06–अन्य भत्ते	22	935
5	09–विद्युत व्यय	–	10
6	10–जलकर/जलप्रभार	–	10
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	500
	योगः–	**342**	**15085**

(II) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
101– औद्योगिक संबंध,
03– विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन

क्र0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	500	23000
2	02–मजदूरी	–	50
3	03–महंगाई भत्ता	300	13800
4	06–अन्य भत्ते	55	2530
5	09–विद्युत व्यय	–	135
6	10–जलकर/जलप्रभार	–	25
7	17–किराया उपशुल्क और किराया स्वामित्व	–	100
8	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	450
	योगः–	**855**	**40090**

(III) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
101– औद्योगिक संबंध,
04– राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड

क्र0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	–	450
2	02–मजदूरी	–	10
3	03–महंगाई भत्ता	–	270
4	06–अन्य भत्ते	–	50

5	07–मानदेय	–	160
6	09–विद्युत व्यय	–	15
7	10–जलकर/जलप्रभार	–	05
8	17–किराया उपशुल्क और किराया स्वामित्व	–	180
9	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	100
	योगः–		1240

(IV) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
101– औद्योगिक संबंध,
05–औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान

क्र0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	–	5000
2	02–मजदूरी	–	580
3	03–महंगाई भत्ता	–	3000
4	06–अन्य भत्ते	–	550
5	09–विद्युत व्यय	–	100
6	10–जलकर/जलप्रभार	–	10
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	400
	योगः–		9640

(V) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
102– कार्य की परिस्थितियों तथा सुरक्षा,
03– निरीक्षण अधिष्ठान

क्र0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	100	3100
2	02–मजदूरी	–	50
3	03–महंगाई भत्ता	60	1860
4	06–अन्य भत्ते	11	341
5	09–विद्युत व्यय	–	15
6	10–जलकर/जलप्रभार	–	10
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	150
	योगः–	171	5526

(VI) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार
01– श्रम
103– सामान्य श्रम कल्याण
03– श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र

क्र0सं0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	–	3350
2	02–मजदूरी	–	10
3	03–महंगाई भत्ता	–	2010
4	06–अन्य भत्ते	–	369
5	09–विद्युत व्यय	–	30

6	10–जलकर/जलप्रभार	–	10
7	17–किराया उपशुल्क और किराया स्वामित्व	–	50
8	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	50
	योगः–		5879

आयोजनागत पक्षः– रू0 13,68,000 (रू0 तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र)

आयोजनेत्तर पक्षः– रू0 7,74,60,000 (रू0 सात करोड़ चौहत्तर लाख साठ हजार मात्र)

महायोगः– रू0 7,88,28,000 (रू0 सात करोड़ अट्ठासी लाख आठइस हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव